भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1385
(29 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत सहायता

1385. श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंतः
श्री सुरेश कुमार शेटकरः

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत आवास निर्माण की स्थिति क्या है और केंद्रीय मंत्रिमंडल के 2024 के पहले निर्णय में घोषित स्वीकृत तीन करोड़ आवासों में से कितने आवास बन चुके हैं;
(ख) सरकार द्वारा कच्चे माल और श्रम की बढ़ती लागत के कारण पीएमएवाई-जी के अंतर्गत सहायता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) भूमिहीन लाभार्थियों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों सहित समाज तक पीएमएवाई- (जी) के लाभ किस प्रकार पहुँचते हैं और पीएमएवाई-जी की प्रगति को प्रभावित करने वाले भूमिहीनता के मुद्दे के समाधान के लिए क्या उपाय किए गए हैं;
(घ) पीएमएवाई-(जी) के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए कुल निवेश और देश में निर्मित आवासों की संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या देश में, विशेषकर महानगरों में, किफायती आवास संकट के समाधान में पीएमएवाईजी के प्रभाव और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने की कोई योजना है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का कार्यान्वयन कर रहा है ताकि वर्ष 2029 तक बुनियादी सुविधाओं से युक्त 4.95 करोड़ पक्के मकानों का निर्माण करने के लिए पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान की जा सके। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान 2 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण मकानों के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के कार्यान्वयन का अनुमोदन प्रदान किया है। दिनांक 21.07.2025 तक, 2 करोड़ मकानों के लक्ष्य में से, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 1,17,31,890 मकान आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 89.99 लाख मकानों को मंजूरी दी गई है और 10.46 लाख से अधिक मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है।

(ख) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 करोड़ अतिरिक्त मकानों के निर्माण हेतु मौजूदा इकाई सहायता के अनुसार पीएमएवाई -जी को मार्च , 2029 तक जारी रखने का अनुमोदन प्रदान किया है। पीएमएवाई-जी के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली इकाई सहायता केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुसार है और वर्तमान में , इकाई वित्तीय सहायता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

(ग) इस योजना के अंतर्गत , राष्ट्रीय स्तर पर , लक्ष्य का न्यूनतम 60% अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित किया जाना है। 60% के इस लक्ष्य को बनाए रखने के लिए, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को आवंटित लक्ष्य अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित किया जाना है, जो कि एसईसीसी, 2011 सूची या अंतिम रूप से तैयार आवास + (2018) सूची के अनुसार तैयार की गई स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) में पात्र पीएमएवाई-जी लाभार्थियों की उपलब्धता और ग्राम सभा द्वारा सत्यापित होने के अध्यधीन है। निर्धारित लक्ष्यों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का अनुपात समय -समय पर संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तय किया जाना है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य , जहां तक संभव हो , यह सुनिश्चित करें कि राज्य स्तर पर 5% लाभार्थी दिव्यांगजन हों।

प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत भूमिहीन लाभार्थियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। भूमिहीन पीएमएवाई -जी लाभार्थियों को भूमि उपलब्ध कराना अत्यंत

महत्वपूर्ण है क्योंकि वे पीएमएवाई-जी की स्थायी प्रतीक्षा सूची में सबसे योग्य लाभार्थियों में से हैं। पीएमएवाई-जी के तहत , योजना के प्रावधानों के अनुसार , राज्य/संघ राज्य क्षेत्र यह सुनिश्चित करेंगे कि भूमिहीन लाभार्थी को सरकारी भूमि या सार्वजनिक भूमि (पंचायत की सामान्य भूमि, सामुदायिक भूमि या अन्य स्थानीय प्राधिकरणों की भूमि) सहित किसी अन्य भूमि से भूमि प्रदान की जाए। चयनित भूमि के लिए, राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा पर्याप्त बुनियादी ढाँचा, जैसे बिजली, सड़क संपर्क और पेयजल की उपलब्धता , ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएँ सुनिश्चित की जा सकती हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान मंत्रालय ने राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिव (राजस्व) और पीएमएवाई-जी से संबंधित विभाग के प्रभारी सचिव के साथ एक टास्क फोर्स गठित करने का अनुरोध किया गया है।

बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की राज्य सरकारें पीएमएवाई -जी के अंतर्गत भूमिहीन लाभार्थियों के लिए योजनाएं कार्यान्वित कर रही हैं, जो निम्नानुसार हैं:-

i. बिहार राज्य में " मुख्यमंत्री आवास स्थल क्रय सहायता योजना " कार्यान्वित की गई है। यह योजना पात्र लाभार्थियों को अपना मकान बनाने हेतु भूमि खरीदने के लिए 60,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

ii. ओडिशा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई "वसुंधरा योजना " का उद्देश्य ओडिशा में भूमिहीन गरीबों, झुग्गीवासियों और गरीब समूहों को भूमि अधिकार और आवास लाभ प्रदान करना है।

iii. महाराष्ट्र राज्य सरकार की "पंडित दीन दयाल उपाध्याय घरकूल जगा खरेड़ी अर्थसहाय योजना" पीएमएवाई-जी के तहत मकान निर्माण के लिए 500 वर्ग फीट भूमि की खरीद के लिए भूमिहीन लाभार्थियों को 1,00,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

iv. तमिलनाडु राज्य सरकार पीएमएवाई -जी के अंतर्गत भूमिहीन लाभार्थियों को मकान निर्माण के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध करा रही है।

पीएमएवाई-जी के वर्तमान चरण (2024-29) में मंत्रालय सभी भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि उपलब्ध कराने की निरंतर निगरानी कर रहा है। आवाससॉफ्ट पर विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा

की गई डेटा प्रविष्टियों के अनुसार , अब तक पीएमएवाई-जी के अंतर्गत कुल 2,68,480 भूमिहीन लाभार्थियों के लिए आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं।

(घ) इस योजना के अंतर्गत 24.07.2025 तक कुल 389881.09 करोड़ रुपये (केंद्रीय अंश + राज्य अंश) का निवेश किया जा चुका है। जारी किए गए केंद्रीय अंश , राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बताए गए व्यय और योजना की शुरुआत से अर्थात 2016-17 से 2025-26 (24.07.2025 की स्थिति के अनुसार) तक निर्मित मकानों की संख्या का राज्य /संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ड.) पीएमएवाई-जी की सभी स्तरों पर बहुत बारीकी से निगरानी की जाती है। निर्माण की गुणवत्ता और समय पर पूरा होने पर विशेष जोर दिया जाता है। योजना के मूल्यांकन के लिए किए गए अध्ययनों का विवरण इस प्रकार है:-

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) द्वारा "प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण के शासन मापदंडों का मूल्यांकन'

"प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण के शासन मापदंडों के मूल्यांकन " पर एक तीन-चरणीय अध्ययन किया गया, जिसमें निधि हेराफेरी में कमी लाने में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के प्रभाव का आकलन भी शामिल था। मूल्यांकन रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

i. पीएमएवाईजी आवासों के निर्माण में लगने वाले औसत दिनों की संख्या 314 दिन थी जो 2017-18 में घटकर 114 दिन रह गई।

ii. निर्माण-संबंधी सामग्रियों की बढ़ती मांग ने अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त रोजगार पैदा किये हैं।

iii. औसत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो मुख्यतः पीएमएवाई-जी योजना के पहले की तुलना में इसके लागू होने के बाद खाद्य वस्तुओं पर व्यय में वृद्धि के कारण है , जिससे बेहतर जीवन स्तर का संकेत मिलता है।

iv. पीएमएवाई-जी के बाद शौचालयों के निर्माण के कारण खुले में शौच में काफी कमी देखी गई है, जिससे पीएमएवाई-जी परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार हुआ है।

v. पीएमएवाई-जी परिवारों में एलपीजी गैस के उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

II. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) द्वारा "पीएमएवाई-जी का प्रभाव मूल्यांकन"

एनआईआरडीपीआर द्वारा यह अध्ययन इस बात का आकलन करने के लिए किया गया था कि लक्षित जनसंख्या की वास्तविक स्थिति में सुधार लाने के संबंध में कार्यक्रम के उद्देश्य किस हद तक पूरे हुए ; तथा नए आवास के स्वामित्व बनने के परिणामस्वरूप लक्षित जनसंख्या द्वारा अनुभव किए गए सामाजिक-आर्थिक सुधार किस हद तक हुए। यह अध्ययन तीन राज्यों , मध्य प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में किया गया (छह जिलों की 24 ग्राम पंचायतों को शामिल करते हुए, 1382 पीएमएवाई-जी लाभार्थियों का साक्षात्कार लिया गया)। मूल्यांकन रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

i. पीएमएवाई-जी आवास से आवास के रख-रखाव का बोझ कम हो गया है।

ii. पीएमएवाई-जी ने लाभार्थियों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है - प्रदान की गई वास्तविक सुविधाओं और लाभार्थियों के कल्याण दोनों के संदर्भ में।

iii. पीएमएवाई-जी ने दो या अधिक कमरे उपलब्ध कराकर आवासों में ज्यादा जगह उपलब्ध करा दी गई है।

iv. सामाजिक स्थिति, आत्म-मूल्य, आत्मविश्वास का स्तर, स्वामित्व की भावना, सुरक्षा की भावना, स्वास्थ्य में स्व-अनुभूत सुधार, जीवन की समग्र गुणवत्ता और नए आवास के बारे में संतुष्टि जैसे संकेतकों पर, पीएमएवाई-जी के लाभार्थी उन लाभार्थियों की तुलना में बहुत बेहतर महसूस करते हैं , जो पीएमएवाई-जी के तहत प्रतीक्षा सूची में हैं , यानी वे लाभार्थी जिन्हें अभी तक पीएमएवाई-जी आवास नहीं मिला है।

III. नीति आयोग - पीएमएवाई-जी - 2020-21 के संबंध में "सीएसएस योजना - ग्रामीण विकास क्षेत्र का मूल्यांकन":

नीति आयोग के विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) द्वारा प्रायोजित मूल्यांकन अध्ययन के तहत , 6 चयनित केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) का विस्तृत योजना स्तर विश्लेषण: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा), प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी), दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क

योजना (पीएमजीएसवाई) और श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) का मूल्यांकन किया गया। इन सभी योजनाओं का मूल्यांकन प्रासंगिकता , प्रभावशीलता, दक्षता, स्थायित्व, प्रभाव और समता के आधार पर आरईईएसआई +ई रुपरेखा का उपयोग करके किया गया है। इस अध्ययन के तहत , पीएमएवाई-जी के निष्पादन का मूल्यांकन जवाबदेही और पारदर्शिता, लैंगिक समानता , सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग , सुधार और नियमन आदि जैसे विभिन्न विषयगत मापदंडों पर किया गया है। मूल्यांकन रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

i. आवास के निर्माण से लाभार्थियों का जीवन आसान हो गया है। आवास के निर्माण से जीवन स्तर में सुधार हुआ है ।

ii. पीएमएवाई-जी योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी का कुशल उपयोग सुनिश्चित करने में सफल रही है। आवासों की जियो -टैगिंग, आवास की गुणवत्ता समीक्षा मॉड्यूल, तकनीक-सेवी वित्तीय मॉड्यूल, प्रौद्योगिकी का काफी लाभ उठाते हैं।

iii. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत लैंगिक समानता को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। महिला लाभार्थियों के नाम पर आवास उपलब्ध कराना , ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आवास आवंटित करना , महिलाओं को आवास मित्र के लिए सक्षम बनाने हेतु क्षमता निर्माण करना इस योजना के अंतर्गत महिला को मुख्यधारा में लाने में योगदान देते हैं।

iv. आवेदन प्रक्रिया के प्रति लाभार्थियों की संतुष्टि सकारात्मक थी , तथा उन्हें महत्वपूर्ण सहायता और समर्थन प्रदान किया गया।

अनुबंध

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के पीएमएवाई-जी के अंतर्गत सहायता के संबंध में दिनांक 29.07.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1385 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

दिनांक 22.07.2025 तक पीएमएवाई-जी के अंतर्गत जारी केंद्रीय अंश का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण तथा योजना के प्रारंभ से अर्थात 2016-17 से 2025-26 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित व्यय और निर्मित मकानों की संख्या

क्र. सं.	राज्य का नाम	निर्मित आवास (इकाई संख्या में)	केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जारी राशि* (करोड़ रुपये में)	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित व्यय (करोड़ रुपये में) #
1.	अरुणाचल प्रदेश	35,591	442.27	425.23
2.	असम	20,70,014	28379.49	31364.68
3.	बिहार	38,29,150	33158.03	54753.84
4.	छत्तीसगढ़	14,84,211	14419.32	22643.50
5.	गोवा	242	2.85	4.98
6.	गुजरात	5,86,438	5643.22	8857.39
7.	हरियाणा	39,732	349.65	662.98
8.	हिमाचल प्रदेश	35,256	1150.4	1093.15
9.	जम्मू और कश्मीर	3,13,275	3899.1	4250.61
10.	झारखंड	15,71,488	13434.16	21736.38
11।	केरल	34,362	260.32	541.18
12.	मध्य प्रदेश	38,43,154	35076.6	53166.39
13.	महाराष्ट्र	13,77,630	17964.86	25712.91
14.	मणिपुर	38,022	783.95	862.27
15.	मेघालय	1,49,285	2251.24	2372.94
16.	मिजोरम	25,303	319.01	347.73

17.	नागालैंड	36,213	531.47	587.41
18.	ओडिशा	24,19,321	20801	33070.40
19.	पंजाब	41,384	503.23	747.67
20.	राजस्थान	17,48,667	14019.7	22763.95
21.	सिक्किम	1,393	15.67	18.60
22.	तमिलनाडु	6,45,264	5737.42	8320.54
23.	त्रिपुरा	3,71,106	4799.67	4896.90
24.	उत्तर प्रदेश	36,37,856	27195.68	44267.73
25.	उत्तराखंड	68,218	870.4	901.96
26.	पश्चिम बंगाल	34,19,417	25797.53	41989.69
27.	अंडमान और निकोबार	1,302	24.62	18.14
28.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	5,020	88.3	161.58
29.	लक्षद्वीप	45	0.71	0.59
30.	पुदुचेरी	0	0	0.00
31.	आंध्र प्रदेश	88,732	1180.86	1239.71
32.	कर्नाटक	1,57,131	2005.92	2078.98
33.	तेलंगाना	0	190.79	0.00
34.	लद्दाख	3,004	21.99	21.08
	कुल	**2,80,77,226**	**261319.43**	**389881.09**

*प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) सहित

राज्य अंश सहित

** पुदुचेरी & तेलंगाना पीएमएवाई को लागू नहीं कर रहे हैं।